तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act CaseNo. 30/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.01.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (भंवरलाल पुत्र बाबू जी घांची, जाति– घांची, निवासी– लोकवाडा रोड़, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड़, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या 2 (तरुण कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म तरुण कुमार शंकरलाल अग्रवाल, आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला– सिरोही) तथा प्रतिवादी संख्या–3 (अमित गुप्ता, खाद्य कारोबाकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म Shree Tadkeshwar Agro Food Products, H-1-37/37A, Riico Industrial Area Sarna Dungar, Jhotwara Extn., Jaipur-302012) के अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 09.3.2023 को फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड़, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता भंवरलाल पुत्र बाबू जी घांची से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) का नमूना संख्या S-2045, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./482/Act/2023/526 दिनांक 20.3.2023 में मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शर्मा एवं अधिवक्ता श्री दलपतराज द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री दलपराज परमार ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 14.01.2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान् आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्तगण जांच रिपोर्ट का प्रतिरोध करता है तथा प्रतिवादी अभियुक्तगण को जो नोटिस खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। वह न्यायोचित नहीं है। मान्य नहीं है, क्योंकि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिस ब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आता है। यह कि खाद्य ......पेज दो पर	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act CaseNo. 30/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र तथा समस्त दस्तावेज जो परिवाद पत्र के साथ पेश किये हैं उससे प्रथम दृष्ट्या मामला मिस ब्राण्ड का प्रतिवादी अभियुक्तगण के खिलाफ नहीं बनता है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09–03–2023 को विक्रेता फर्म मैसर्स श्री सोनातर किराणा स्टोर, रोहिडा, सिरोही से निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी) ब्राण्ड का वास्ते जांच नमूना लिया गया था जो जांच में खाद्य पदार्थ ऑयल शुद्ध स्तर का पाया गया है व माल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर कार्रवाई के समय तैयार किये गये दस्तावेज जिसमें फार्म संख्या 5–ए का नोटिस विक्रेता फर्म को दिया गया था उसमें उत्पादित खाद्य पदार्थ ऑयल लेवल पर नियमानुसार मुद्रित व अंकित सभी घोषणाओं का विवरण जो उल्लेखित किया गया था, जिसमें कहीं भी मिसब्राण्ड होने सम्बन्धित तथ्य नहीं हो सकते। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये नमूने खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी) ब्राण्ड की जांच में खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी रिपोर्ट में नमूना पैकेट पर (i) खाद्य पदार्थ का नाम व ब्राण्ड का नाम (ii) निर्माता फर्म का नाम व पता (iii) पैकिंग दिनांक (iv) बैच नम्बर (v) बेस्ट बिफोर (vi) वेजिटेरियन का हरा लोगो (vii) बार कोड (viii) एफएसएसएआई लाइसेन्स नम्बर व न्यूट्रीशन की मात्रा सूचना होना पाया गया है जिन सभी का उल्लेख खाद्य पदार्थ के पैकेट पर एफएसएसएआई (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) रेगुलेशन नियम 2011 के तहत खाद्य पदार्थ के पैकेट पर देना जरूरी होता है व समस्त जानकारी कानूनन पैकेट पर दी गई थी। जिससे कथित नमूने का मिस ब्राण्ड होना सम्भव नहीं है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी जांच रिपोर्ट में लेबल पर use by का उल्लेखित नहीं होने के कारण मिसब्राण्ड घोषित किया गया है जबकि उक्त लेबल से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता है तथा लेबल पर best before date डली हुई थी जिसका आशय व अभिप्राय भी यही होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ को उपभोग में लेने की तिथि का समय निश्चित होता है। जिसके बाद उसे उपयोग में नहीं लिया जा सकता है तथा उक्त लेबल विवरण से उपभोक्ता को भ्रमित होने की कोई भी सम्भावना नहीं हो सकती तथा बाद अधिनियम संशोधन होने के कारण निर्माता फर्म द्वारा अभिज्ञान नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को दोषमुक्त किया जाना प्रार्थनीय है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी) ब्राण्ड के पैकेट सील्ड हालत में प्राप्त हुआ था जिस कारण से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई इल्म व जानकारी नहीं थी ना ही उनके पास शंका करने का कोई कारण ही था कि उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी) ब्राण्ड के पैकेट में कोई कमी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने धारा 26 (4) एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 के तहत जो बिल उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी) ब्राण्ड के पैकेट खरीदने का प्राप्त किया था वह गारण्टी की तारीफ में आता है और धारा 80(b)(2)(d)(1) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 गारण्टी का बचाव पाने के अधिकारी हैं तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी प्रतिवादी संख्या 3 (मैसर्स

......लगातार

न्याया० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

जि०. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

ताड़केश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट) के विरुद्ध यह मामला लेकर आया है कि वह उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल रिफाइण्ड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी) ब्राण्ड के पैकेट का निर्माता है तथा मैसर्स श्री ताड़केश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट, सरना डूंगर, जयपुर (राजस्थान) ने ही उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी) ब्राण्ड के पैकेट का निर्माण कर बेचान किया है। उस कारण से उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी) ब्राण्ड के पैकेट में कोई कमी किसी भी रूप में पाई जाती है तो उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल (श्री श्याम धणी) ब्राण्ड के पैकेट का निर्माता प्रतिवादी संख्या 3 उसके लिये उत्तरदायी है। अभिहित अधिकारी ने एफएफएसए (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) रेगुलेशन नियम 2011 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन बाबत धारा 32 एफएसएसए का नोटिस प्रतिवादी को नहीं दिया गया है इस कारण से भी प्रतिवादी के खिलाफ एफएफएसए (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) रेगुलेशन 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन बाबत अभियोजन की कार्यवाही नहीं चल सकती। यह कि सम्बन्धित निर्माता फर्म वैद्य तरीके से नियमानुसार लाईसेन्स लेकर तथा नियमानुसार माल को पैक करके विक्रय का कार्य करती है तथा किसी भी अनुचित तरीके से कोई खाद्य कारोबार का संचालन नहीं करती है तथा कथित विक्रय किया गया माल नियमानुसार मानकों की सभी शर्तों को पूरा करते हुए किया गया था इसलिए प्रतिवादी अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने के प्रार्थनीय है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.3.2023 को समय 01—00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड, रोहिडा, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र बाबू जी घांची, जाति— घांची, निवासी— सोनातर गली, लोकवाडा, रोहिडा, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड़, रोहिडा की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) के 18 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक 180 एम. एल.) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता भंवरलाल को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) के 18 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक 180 एम.एल.) में से Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) के 4 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक 180 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना

........लगातार

न्यायालय प्राथ० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही—307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act CaseNo. 30/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

जांच खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 280/– (अक्षरे रुपये दो सौ अस्सी मात्र) प्रतिवादी भंवरलाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2045, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) के चारों पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक 180 एम.एल.) पर एक–एक लेबल चिपकाया एवं Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) के चारों नमूना पैकेटों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-2045 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.3.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 09.3.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता भंवरलाल पुत्र बाबु जी घांची से खाद्य पदार्थ Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) के 180–180 एम.एल. के चार पैक्ड पैकेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) के नमूना संख्या S-2045 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./482/Act/2023/526 दिनांक 20.3.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand)

.........लगातार

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रांत. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act CaseNo. 30/2024	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

का नमूना मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded Food) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र बाबू जी घांची की फर्म सोनातर किराणा स्टोर, रोहिडा द्वारा खाद्य पदार्थ Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) के 180–180 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों को फर्म तरुण कुमार शंकरलाल अग्रवाल, आजाद मैदान, आबूरोड से जरिये बिल क्रय किये गये, जो प्रतिवादी संख्या 2 (तरुण कुमार) की प्रोपराईटरी फर्म है तथा प्रतिवादी संख्या 2 (तरुण कुमार) की प्रोपराईटरी फर्म तरुण कुमार शंकरलाल अग्रवाल, आजाद मैदान, आबूरोड द्वारा खाद्य पदार्थ Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) के 180–180 एम. एल. के पैक्ड पैकेटों को फर्म Shree Tadkeshwar Agro Food Products, H-1-37/37A, Riico Industrial Area Sarna Dungar, Jhotwara Extn., Jaipur-302012 से जरिये बिल क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या 3 (अमित कुमार) की प्रोपराईटरी फर्म है एवं Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) की निर्माता/पैकर फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता/पैकर फर्म Shree Tadkeshwar Agro Food Products, H-1-37/37A, Riico Industrial Area Sarna Dungar, Jhotwara Extn., Jaipur-302012 ही दोषी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है व उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Refind Palm Oil (Shree Shyam Dhani Brand) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी अमित कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म Shree Tadkeshwar Agro Food Products, H-1-37/37A, Riico Industrial Area Sarna Dungar, Jhotwara Extn., Jaipur-302012) पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी अमित कुमार को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 28.2.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.